

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या -3100
दिनांक 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

श्रीलंका के पत्तनों में चीन के नौसैनिक जहाजों को अनुमति

3100. श्री टी. आर. बालू:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका ने हाल ही में भारत और अमेरिका के विरोध के बावजूद अपने पत्तनों में चीन के नौसैनिक जहाजों को अनुमति न देने के अपने पहले के फैसले को पलटते हुए उन्हें अनुमति देने का फैसला किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दक्षिणी समुद्री सीमाओं में श्रीलंका के पत्तनों में चीनी नौसैनिक जहाजों की मौजूदगी और लंबे समय तक वहां रहने के कारण इस फैसले का भारत के सुरक्षा हितों, विशेषकर तमिलनाडु और उसके मछुआरों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका सरकार ने 1 जनवरी 2024 से विदेशी शोध जहाजों के श्रीलंका में बंदरगाहों पर आने पर एक वर्ष की रोक लगा दी है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अपने बलबूते पर हैं और इन संबंधों पर उन देशों के अन्य देशों के साथ संबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार, भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी घटनाक्रम की सावधानीपूर्वक निगरानी करती है और उनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।
